

प्रति,

श्री प्रमोद पांगुली,
ज्य. सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा N,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिर्जा केन्द्र, 2 लखनऊ केन्द्र प्रोवि. विहार,
नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुभाग

संज्ञक: दिनांक: 9 दिसम्बर, 1993

विषय:- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद केन्द्र प्रोवि. विहार, नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र कटने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद केन्द्र प्रोवि. विहार, नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अर्थानुसार नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीताहट्टी का सम्यक् पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 5- संस्था के अधिक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसन्ध वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसन्ध नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

7- राज्य सरकार द्वारा तब तक समय पर जो भी आदेश निर्गत हो जायेंगे तैरथा उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रूपण/संरिक्तार्यों में रखा जाएगा

9- उक्त कर्तों में राज्य सरकार से पूर्वानुमोदन के बिना कोई पालन तैरथोचन या परिचरधन नहीं किया जाएगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तैरथा द्वारा क्यातन्ध कर्तियों/कर्ता कोर वांगु कर कालन को सुचयत किया जाएगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैरथा के लिए अनिवार्य होगा और यदि कितो समय यह पाया जाता है कि तैरथा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पा नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घुल या शिथिल करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपारित प्रमाण पर उक्त तैरिवा जायेगा ।

भवदीय,


अशोक मांरुली
उप सचिव ।

पुठसं० 5369/11/13-7-1993 तदुदिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचनार्थ र्वर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषि

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- जिला शिक्षातय निरीक्षक, मथुरा ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय शिक्षातय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, तेन्ड डोमनिक स्कूल, मठर बाजार, मथुरा ।

आशा से,


अशोक मांरुली
उप सचिव ।